प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 25-12-2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1046/24 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई मूर्ति बेचकर प्राप्त रूपयों में से 1400 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 21.12.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ग्राम प्रधान निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त नीटू पुत्र सहेन्द्रपाल व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम हरचन्दपुर के रविदास मन्दिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1046/24 धारा 303(2) भादवि पंजीकृत किया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1046/24 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई मूर्ति बेचकर प्राप्त रूपयों में से 1400 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीटू पुत्र सहेन्द्र पाल निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- रविदास मंदिर से चोरी हुई मूर्ति को बेचकर प्राप्त 1400 रुपये नगद बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना बागपत

2-है0का0 435 आलोक थाना बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 25.12.24

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 443/24 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/333/ 324(4)/131/109 बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 22.12.24 को थाना खेकड़ा पर वादी नितिन कुमार पुत्र मेहरचन्द निवासी ग्राम सांकरोद थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.शिवा पुत्र पंकज, 2.पंकज पुत्र मोहरसिंह, 3.दीपू पुत्र राकेश, 4.शैलेन्द्र पुत्र हरपाल, 5.एलन पुत्र रमेश, 6.प्रशान्त उर्फ भूरा पुत्र रामेश्वर निवासीगण ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी व वादी के परिवार के साथ एक राय होकर लाठी डन्डो, फावडे, फरसे लेकर घर में घुसकर जान से मारने की नियत से हमला कर मारपीट की गई, अभियुक्तों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा जातिसूचक शब्द कहे, बाहर खडी वादी की गाडी स्विफ्ट व मो0सा0 में तोडफोड की गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 443/24 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/333/ 324(4)/131/109 बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 443/24 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/333/324(4)/131/109 बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकडा पुलिस द्वारा दिनांक 23-12-2024 को 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सन्नी उर्फ गरवीत निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0श्री अमरदीप सिंह थाना खेकडा।

2-है0का0 428 कपिल रावत थाना खेकडा।

3- का0 937 शिवम शर्मा थाना खेकडा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 25.12.2024**

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान शराब तस्कर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 30 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 30 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 854/24 धारा 60 आबकारी अधिनिमय पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र सतीश निवासी ग्राम छुर्र थाना सरधना जनपद मेरठ।
हाल निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 30 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-का0 545 मनीष कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-का0 984 दीपक शर्मा थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 25.12.24**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 298/24 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 298/24 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- थाना छपरौली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को दिनांक 21-12-2024 को बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विनोद पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम अरनावली थाना रोहटा जनपद मेरठ हाल पता-ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 उदयवीर सिह थाना छपरौली जनपद बागपत।

2. है.का. 586 लोकेश भाटी थाना छपरौली जनपद बागपत।

3. का.976 लवकुश थाना छपरौली जनपद बागपत।